



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168202-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 69505 वर्ष 2011

भारत संघ, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के माध्यम से एवं अन्ययाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्त : सौमित्र सिंह, सत्य प्रकाश मिश्र

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : एस.सी. विनोद कुमार

मुख्य न्यायाधीश की न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका दिनांक 19.08.2011 को मूल आवेदन संख्या 478 वर्ष 2006 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल मूल आवेदन स्वीकार कर लिया गया था।
2. मूल आवेदन इस कथन के साथ दाखिल किया गया था कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 15.12.1997 के आदेश के द्वारा वर्ष 1997 में रेलवे सेवा में समूह-‘घ’ के पद पर प्रवेश किया था और जुलाई 1999 तक सेवा में कार्यरत रहा। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें उसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चिकित्सा श्रेणी ए-2 में कार्य करने के लिए स्वस्थ पाया गया और दिनांक 07.04.1998 को उसे सोननगर के स्टेशन मास्टर के अधीन शंटमैन ग्रेड-II के पद पर तैनात किया गया।

3. प्रत्यर्थी को दिनांक 03.07.1999 के आदेश द्वारा मुगलसराय स्थानांतरित किया गया और उसने दिनांक 04.07.1999 को मुगलसराय में कार्यभार ग्रहण किया। वह बीमार पड़ गया और उसे रेलवे अस्पताल, मुगलसराय में भर्ती कराया गया। स्वस्थ होने के पश्चात् वह इयूटी पर उपस्थित हुआ और उसे मंडलीय परिचालन प्रबंधक के बंगले पर कार्य करने का निर्देश दिया गया, जहां उसने घरेलू सेवक के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात् उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अंकित किया जाता रहा। प्रत्यर्थी को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई आरोप-पत्र प्रदान किया गया, बल्कि उसे बड़ी शास्ति के आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए एक पत्र जारी किया गया। उसने अपना उत्तर प्रस्तुत किया, किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इन तथ्यों के आधार पर मूल आवेदन संख्या 1655 वर्ष 2004 दाखिल किया गया, जिसका निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया कि याचिकाकर्तागण प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय लें; किंतु उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।
4. एक अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से की गई दलीलों का विरोध करते हुए एक प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। यह दावा किया गया कि प्रत्यर्थी रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, क्योंकि उसे समूह-‘घ’ के कर्मचारी के रूप में नियुक्त ही नहीं किया गया था। मूल आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज फर्जी और कूटरचित था। प्रत्यर्थी को मूल नियुक्ति/नियोजन पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया और चूंकि मूल दस्तावेज भी कूटरचित पाया गया, इसलिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पश्चात् प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। यहां तक कि स्थानांतरण आदि का आदेश भी कूटरचित था।

5. अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी को सोननगर में स्थानापन्न समूह-‘घ’ कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उसने दिनांक 17.12.1997 को कार्यभार ग्रहण किया था। उसे सोननगर से मुगलसराय स्थानांतरित किया गया था और अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उसे आरोप-पत्र प्रदान किया गया था। अधिकरण ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि दस्तावेजों और तथ्यों को स्वीकार करने के बजाय यह दलील प्रस्तुत की गई कि उसकी कभी नियुक्ति ही नहीं हुई थी, जो तथ्यात्मक रूप से गलत थी। चूंकि प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई जांच नहीं की गई थी, इसलिए मूल आवेदन स्वीकार कर लिया गया और प्रत्यर्थी को समूह-‘घ’ में अपनी इयूटी पुनः ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया।
6. इससे व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्तागण अधिकरण के निर्णय का अनुपालन रिट याचिका के परिणाम के अधीन करेंगे।
7. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी को समूह-‘घ’ कर्मचारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई थी और वह वर्तमान में भी सेवा में कार्यरत है।
8. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने यह दलील प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति सिद्ध न होने के तथ्य को देखते हुए अधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करना उचित नहीं था और इसलिए आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
9. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्तागण द्वारा उठाई गई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दलील मूलतः असत्य है और इसलिए अधिकरण द्वारा मूल आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित था।

10. हमने प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

11. मूल आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि प्रत्यर्थी को विधिवत् नियोजित किया गया था और उसकी तैनाती सोननगर में की गई थी, जहां से उसे मुगलसराय स्थानांतरित किया गया। वहां, प्रतीत होता है कि घरेलू सेवक के रूप में कार्य करने से उसके इनकार के कारण उसके साथ परिणामी व्यवहार किया गया, जिसके अंतर्गत उसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित दर्शाया गया और उसे इयूटी पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। यह स्वीकार्य है कि उसकी नियुक्ति/नियोजन समाप्त किए जाने से पूर्व प्रत्यर्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और नियोजन से संबंधित दस्तावेजों के कूटरचित होने के संबंध में प्रस्तुत दलील पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

12. उपर्युक्त के दृष्टिगत, हमें आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता। रिट याचिका में कोई सार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

दिनांक: 11 अगस्त, 2026

पी. श्री./साज़िया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”